राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1419/।।।/2011 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
26.6.14	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 522/अ–19/08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–9–13 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1059 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 21–4–14 को प्रस्तुत की गई है।	
	2/ अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये विवरण पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त सागर संभाग के आदेश दिनांक 4–9–13 की सूचना आवेदकगणों को प्राप्त होने पर नकल प्राप्त कर निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसमें जानकारी समय पर न होने से विलम्ब हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है अन्यथा आवेदकगण न्याय पाने से बंचित रह जायेगे, इसलिये विलम्ब क्षमा करके निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जावे।	
	4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 4–9–13 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन पर पाया कि आवेदकगणों ने प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन 20.9.13 को दिया है और उन्हें दिनांक 1–10–13 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गई, जबकि निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 21 4 14 को प्रस्तुत की गई है दिनांक 1–10–13 से दिनांक 21–4–13 तक का व्यतीत समय के दिन प्रतिदिन का हिसाब भी नहीं दिया गया है एंव अवधि विधान की धारा–5 में विलम्ब क्षमा करने हेतु ऐसा कोई समुचित आधार नहीं बताया गया है जिससे आवेदकगण के प्रति उदार रूख अपनाया जा सके, इसके विपरीत	

CANCELLED CANCELLED

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

R - 1419 - III/14

समस्त ग्रामवासी ग्राम भगवा ग्राम पंचायत मनकोरा
तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र.

21 APR 2014

द्वारा :-

1. दिलीप वल्द कमोद गौड़
2. रामकिशन वल्द बैजनाथ कुर्मी
3. चतुर्भुज वल्द गौरीशंकर कुर्मी
4. भागीलाल वल्द कलुआ अहिरवार
5. सीताराम कुर्मी वल्द लालजी कुर्मी
6. बलराम वल्द शिवदयाल पटैल

सभी निवासी ग्राम भगवा ग्रा.पं. मनकौरा
तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र. ......आवेदकगण

//विरूद्ध//

मथुरा वल्द हल्कू चढ़ार सा. बमुरिया
पो. बनगांव तह. पटेरा जिला दमोह म.प्र. ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमाँक निग. 522/अ-19 वर्ष 2008-09 में पारित आदेश दिनांक 04-09-2013 से परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

1. यह आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है ।

2. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक को भूमि ख.नं. 87/2, 89/3, 136, 145/1, 145/2, रकवा 0.12, 0.60, 0.36, 0.39, 0.45 कुल रकवा 1.82 हे. का शासकीय पट्टा जारी किया गया था जिसे निरस्त किए जाने हेतु आवेदन समस्त ग्राम वासियों द्वारा तहसीलदार पथरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा इस्तहार का प्रकाशन किया गया अनावेदक को आहुत किया गया और विधिवत् प्रक्रिया के तहत समुचित जांच उपरांत यह पाते हुए कि पट्टेदार द्वारा भूमि ठेके पर दी गई है तथा वह भगवा ग्राम में निवास नहीं करता है तथा इस कारण म.प्र. राज्य परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों के तहत पट्टा निरस्त किये जाने योग्य होने की अनुशंसा सहित अपना प्रतिवेदन श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय दमोह के माध्यम से अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष भेजा गया, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का सूक्ष्म जांच किये बिना सरसरी तौर पर यह पाते हुए कि